

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2012 की धारा 204(1) और कंपनी
 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,

सदस्यगण

एमएमटीसी लिमिटेड
 कोर-1 स्कोप कॉम्प्लेक्स,
 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (CIN L51909DL1963GOI004033) (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

- ए) कंपनी की पुस्तकों, कागजों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य क्रॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करें कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 (ऑडिट अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन; बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन-तंत्र हैं
- बी. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है। के प्रावधानों के अनुसार:

 - (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
 - (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम
 - (iii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
 - (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उदारी की सीमा तक लागू होते हैं;
 - (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत लागू सीमा तक निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:

 - ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015;
 - बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा), विनियम 2018; (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
 - सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
 - ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
 - एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
 - जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों की सूची) विनियम, 2013 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
 - एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
 - आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)



- (जे) कंपनियों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 अधिनियम, 2013 और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक के साथ व्यवहार करना;
- (vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग ("डीपीई दिशानिर्देश") द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010।
- (vii) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रवलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने आमतौर पर कंपनी के विशिष्ट रूप से लागू कानूनों का कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक अनुपालन किया है जैसा कि पहचाना गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961, कस्टम अधिनियम, 1962, आदि को शामिल किया गया है।

सी. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

- (i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल (**SS-1**) और सामान्य बैठकों की (**SS-2**) बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक।
- (ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन पालन किया है :

- (i) बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के तहत प्रावधान का अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि बोर्ड के आधे हिस्से में ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं।
- (ii) विनियमों के विनियम 21(उसी) के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों दिनांक 31.03.2021 और 24.03.2022 के बीच समय अंतराल एक सौ अस्सी दिनों से अधिक है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिस्क की बैठक के सदस्यों एवं अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित समय में प्रबंध समिति की बैठक नहीं हो सकी।
- (iii) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 और 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम क्रमशः 27.10.2021, 23.03.2022, 22.04.2022 और 05.05.2022 को प्रस्तुत किए गए थे। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, नीलाचल में एमएमटीसी द्वारा आयोजित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण देरी हुई थी। इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) और कंपनी ने सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया था।
- (iv) विनियमों के विनियम 33(3)(डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय परिणाम दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत किए गए। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया था।
- (v) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, वहां स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की संख्या का कम से कम 50% होनी चाहिए। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ('प्रशासनिक मंत्रालय') के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मामले को प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- I कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त पैरा डी में उल्लिखित कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- II बोर्ड की बैठकों, एजेंडे को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है। एजेंडे पर विस्तृत नोट आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे और बैठक से पहले एजेंडा मद्दों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है।
- III बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं और लागू कानूनों, नियमों विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
FRN: S2014UP280200
पीयर समीक्षा संख्या: 1083 / 2021

पारुल जैन
प्रोपराइटर
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323D000948196

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 09.09.2022

अनुलग्नक - 'ए'

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ—साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि निर्दिष्ट कानूनों के तहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हालांकि हम इस तरह के रिटर्न में दी गई जानकारी पर कुछ हद तक भरोसा किया है।
6. कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को पढ़ा जाना है कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखापरीक्षक(ओं) / एजेंसियों / प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत / प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में, यदि कोई हो, टिप्पणियों के संयोजन में और अलग—थलग नहीं।
7. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
8. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
 कंपनी सचिव
 एफआरएन: S2014UP280200
 पीयर समीक्षा संख्या: 1083 / 2021
 एफआरएन S2014UP280200

पारुल जैन
 प्रोपराइटर
 एम सं. F8323
 सीपी सं. 13901

स्थान: गाजियाबाद
 दिनांक: 09.09.2022



वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उनकी रिपोर्ट में
सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
(I) बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि ॲडिट के दौरान बोर्ड में आधे बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।"	एमएमटीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू होने के नाते, कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के मामले को वाणिज्य विभाग, एमओसीएंडआई के साथ उठाया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं।
(ii) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 और 24.03.2022 के बीच समय अंतराल विनियम के विनियम 21 (उसी) के अनुसार एक सौ अस्सी दिनों से अधिक है।	2021–22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आतिरिक्त प्रभार) थे। समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित समय में इस समिति की बैठक नहीं बुलायी जा सकी।
(iii) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 और 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम क्रमशः 27.10.2021, 23.03.2022, 22.04.2022 और 05.05.2022 को प्रस्तुत किए गए थे।	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में एमएमटीसी द्वारा आयोजित इकिवटी निवेश के रणनीतिक विनियेश जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण निर्दिष्ट तिमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित परिणामों और वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखापरीक्षित परिणामों को प्रस्तुत करने में देरी हुई, जो लंबे समय से लंबित है। कोयला कानूनी विवाद, आदि, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा, कंपनी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया है।
(iv) विनियमों के विनियम 33(3)(डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय परिणाम दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत किए गए।	इसका उत्तर ऊपर (i) के अनुसार।
(v) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कम से कम 50% होगी।	